मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : 8-5 /1176/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - समान ग्रेड पे में उच्च उत्तरदायित्व के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में ।

संदर्भ-
1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1-5/2007/नियम/चार, दिनांक 9-4-2007.
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8/09/नियम/चार, दिनांक 28-2-2009.

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1-5/2007/नियम/चार, दिनांक 9-4-2007 द्वारा भर्ती /पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नहीं है, तो ऐसे मामलों में नियुक्त अथवा पदोन्नति होने पर (पाँचवा वेतनमान में) शासकीय सेवक को मूल नियम 22डी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है ।

2/ राज्य शासन द्वारा दिनांक 28-2-2009 को छठवें वेतनमान के अनुक्रम में म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 जारी किये गये हैं इन नियमों के नियम-12 में

दिनांक 1-1-2006 या इसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है । इस प्रावधान में समान ग्रेड पे पर पदोन्नत होने पर वेतन निर्धारण के निर्देश नहीं है ।

3/ कतिपय विभागों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार समान ग्रेड पे पर पदोन्नति होने पर किस प्रकार वेतन निर्धारण किया जावे । इस संबंध में राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 (छठवें वेतनमान) में समरूप वेतन खण्ड तथा समान ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार होने पर पदोन्नति पूर्व पद के वेतन एवं ग्रेड पे के 3 प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि जोड़कर पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण किया जावे । इस संबंध में उदाहरण क्रमांक 1 एवं 2 संलग्न है । इस तरह पदोन्नति पर वही ग्रेड पे प्राप्त होगा, जो पूर्व पद पर प्राप्त हो रहा है ।

4/ इस आदेश जारी होने की तिथि के 3 माह के भीतर पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में पुनः विकल्प देने की पात्रता होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

उदाहरण-एक

'क' कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बेंड ₹5200-20200+2400 ग्रेड पे में कार्यरत है । उक्त वेतनमान में दिनांक 1-7-2010 को वेतन ₹8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है । उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैण्ड में ₹5200-20200+2400 ग्रेड पे (समान वेतन बेंड में) दिनांक 1-5-2011 को होती है तो संबंधित द्वारा वेतन निर्धारण (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर तथा (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतन वृद्धि के दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर निम्नानुसार होगा :-

सहायक वर्ग-2 पूर्व पद का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे	लेखापाल पदोन्नति पद का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे
(अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर	
1-7-2010 8000+2400 ग्रेड पे	----------
1-5-2011 पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे	8320+2400
1-7-2011 --------------	(8320+2400)मौलिक पद का वेतन
1-7-2012 आगामी वेतन वृद्धि	8650+2400
(ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने पर :-	
1-7-2010 8000+2400	----------
1-5-2011 पदोन्नति 8000+2400	8000+2400
1-7-2011 (8320+2400)	8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण
1-7-2012 आगामी वेतन वृद्धि	8990+2400

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

Sunita
13

उदाहरण-दो

'ख' कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बैण्ड ₹5200-20200+2400 ग्रेड पे में दिनांक 1-7-2010 को वेतन ₹8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैण्ड ₹5200-20200+2400 ग्रेड पे में (समान वेतन बैंड) दिनांक 1-1-2011 को होती है तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर एवं (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

सहायक वर्ग-2 पूर्व पद का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे	**लेखापाल** पदोन्नति पद का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड पे

(अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर :-

1-7-2010 8000+2400 ग्रेड पे	----------
1-1-2011 पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे	8320+2400
1-7-2011 आगामी वेतन वृद्धि	8650+2400 ग्रेड पे

(ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने पर :-

1-7-2010 8000+2400	----------
1-1-2011 8000+2400	(8000+2400)
1-7-2011 (8320+2400)	8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण
1-7-2012 आगामी वेतन वृद्धि	8990+2400

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

Sunita
14

पृष्ठा.क्रमांक : 8-5/1176/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर,2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance